

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, अमेठी।

विज्ञप्ति संख्या

/ व्यवस्थापन / 2020-21 / दिनांक जनवरी

, 2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या-11/2020/155 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उ०प्र०, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 26444/दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अमेठी में वर्ष 2020-21 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा सर्वप्रथम वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वाहन 11:00 बजे) से दिनांक 03.02.2020 (पूर्वाहन 11:00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन अमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.amethi.nic.in विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

(आर०के० वर्मा)

जिला आबकारी अधिकारी
प्राधिकारी

अमेठी।

संख्या :

/ तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला सूचना अधिकारी, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(अरुण कुमार)

जिलाधिकारी / लाइसेंस

अमेठी।

जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद अमेठी।